संख्या- 10/2019/566/ सत्रह- म-2019-6-9(9)/17टी0सी0-।

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ :दिनांक:24 मई, 2019

विषय: मत्स्य विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों की वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों के अंकन हेतु प्रक्रिया निर्धारण ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-342/स्था0शा0,दिनांक 02.08.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मत्स्य विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों की वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों के अंकन हेतु शासन स्तर से विभिन्न स्तरों के निर्धारण की व्यवस्था किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 के परिपत्र संख्या-1003/ स्था0/1-4 (81) 95-96 दिनांक 03 मार्च,1997 द्वारा निर्धारित वार्षिक प्रविष्टि अंकन की व्यवस्था समाप्त करते हुए मत्स्य विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों के वार्षिक चरित्र मूल्यांकन/अंकन हेतु निम्नवत नवीन समेकित व्यवस्था / प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

क्र0सं0	पदनाम	प्रतिवेदक प्राधिकारी	समीक्षक प्राधिकारी	स्वीकर्ता प्राधिकारी
	(अ) राजपत्रित अधिकारी (समूह-'क' एवं 'ख')			
1	निदेशक मत्स्य	प्रमुख सचिव/ अपर मुख्य सचिव मत्स्य	कृषि उत्पादन आयुक्त	मा0 विभागीय मंत्री (राष्ट्रपति शासन काल में सम्बन्धित सलाहकार)
2	संयुक्त निदेशक मत्स्य	निदेशक मत्स्य	प्रमुख सचिव/ अपर मुख्य सचिव मत्स्य	कृषि उत्पादन आयुक्त
3	उप निदेशक मत्स्य	संयुक्त निदेशक मत्स्य	निदेशक मत्स्य	प्रमुख सचिव/ अपर मुख्य सचिव मत्स्य
4	सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्यकार्यकारी अधिकारी	उप निदेशक मत्स्य	संयुक्त निदेशक मत्स्य	निदेशक मत्स्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

5	निदेशालय पर पदस्थ समूह- ख के समस्त अधिकारी / अर्थ एवं संख्याधिकारी/ अपर सांख्यकीय अधिकारी/ मत्स्य प्रक्षेत्र विशेषज्ञ	समूह- 'क' के सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी	संयुक्त निदेशक मत्स्य	निदेशक मत्स्य
6	उप निदेशक मत्स्य के नियंत्रणाधीन अपर सांख्यकीय अधिकारी / अवर अभियन्ता (राजपत्रित)	उप निदेशक मत्स्य /नियंत्रक प्राधिकारी	संयुक्त निदेशक मत्स्य	निदेशक मत्स्य
(ब) अराजपत्रित अधिकारी (समूह-'ग' एवं 'घ')				
7	ऐसे ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक, जो जनपद का कार्य स्वत्रंत रूप से प्रभारी के रूप में कर रहे हैं अथवा उप निदेशक मत्स्य के नियत्रंण में कार्य कर रहे हैं।	उप निदेशक मत्स्य /नियंत्रक प्राधिकारी	-	संयुक्त निदेशक मत्स्य
8	ऐसे ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ सहायक निदेशक मत्स्य के नियंत्रणाधीन कार्यरत हैं।	सहायक निदेशक मत्स्य /नियंत्रक प्राधिकारी	-	उप निदेशक मत्स्य
9	मत्स्य निरीक्षक, मत्स्य विकास अधिकारी, लिपिकीय संवर्ग, वाहन चालक/ सहायक सांख्यकीय अधिकारी आदि समूह-'ग' के समस्त कार्मिक जो सीधे उप निदेशक मत्स्य के नियत्रंण में पदस्थ/कार्यरत हैं।	उप निदेशक मत्स्य/नियंत्रक प्राधिकारी	-	संयुक्त निदेशक मत्स्य

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10	मत्स्य निरीक्षक, मत्स्य विकास अधिकारी, लिपिकीय संवर्ग, वाहन चालक आदि समूह-'ग' के समस्त कार्मिक जो सीधे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ सहायक निदेशक मत्स्य के नियत्रंणाधीन पदस्थ/ कार्यरत हैं।	सहायक निदेशक मत्स्य/नियंत्रक प्राधिकारी	-	उप निदेशक मत्स्य
11	निदेशालय में पदस्थ समूह-'ग' के समस्त कार्मिक /सहायक सांख्यकीय अधिकारी/ अवर अभियन्ता।	सम्बंधित शाखा के सहायक निदेशक मत्स्य/ नियंत्रक प्राधिकारी	-	सम्बंधित शाखा के उप निदेशक मत्स्य / नियंत्रक प्राधिकारी
12	समूह- 'घ' चतुर्थ श्रेणी के समस्त कार्मिक, निदेशालय सहित।	ऐसे समूह- 'क' अथवा 'ख' के अधिकारी जिनके सीधे नियंत्रण में सम्बंधित समूह- 'घ' का कार्मिक कार्यरत है।	-	-

3- जिला स्तरीय अधिकारियों की गोपनीय प्राविष्टि अंकित करते समय प्रतिवेदक अधिकारी, जिलाधिकारी के मन्तव्य को ध्यान में रखते हुए प्रविष्टि अंकित करेंगे तथा मण्डल स्तर के अधिकारियों की गोपनीय प्राविष्टि अंकित करते समय प्रतिवेदक अधिकारी, मण्डलायुक्त के मन्तव्य को ध्यान में रखते हुए प्रविष्टि अंकित करेंगे।

4- वार्षिक प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों का निस्तारण उ0प्र0 सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिर्पोटों के विरूद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली- 1995 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

5- गोपनीय प्राविष्टयॉ अंकित करने की उपरोक्त व्यवस्था वर्ष 2019-20 से प्रभावी मानी जायेगी।

भवदीय,

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

संख्या - 10/2019 / 566(1)/सत्रह-म-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
7- समस्त उप निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ0प्र0।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।